FROM : FAX NO. 17 May 2012 12:59AM P1

(105)

पृ.क्र.	
पिछला	अगला

कार्यालय वन वृत्त छतरपुर

पुराना बिजावर नाका, छतरपुर (म.प्र.) 471001
07682-242107 (O.), 242870 (R.), 242107 (Fax) E-mail: cfchtpur@mp.gov.in

क्रमांक/स्टेनो/2011/ 1096 छतरपुर/दिनांक 9-3-2011

प्रति,

1. वन संरक्षक
   वन मण्डल छतरपुर/टीकमगढ

Attention : Sh. T.R. SHARMA

नाम से

2. वनमण्डलाधिकारी
   वन मण्डल उत्तर/दक्षिण पन्ना

विषय :– जप्त वाहनों के संबंध में छापामार कार्यवाही के तहत प्रतिदिन सूचना दिए जाने बावत।

संदर्भ :– (1) अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञापन क्र./170/3196/09/10–2/दिनांक 13.1.2010 तथा कार्यालयीन पृ.क्र./सामान्य/स्टेनो/716 दिनांक 5.2.2010 ।
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र.के पत्र क्र./एफ–05/10–10/2009/4443 दिनांक 2.12.2009 तथा कार्यालयीन पृ.क्र./स्टेनो/7205 दिनांक 18.12.2009।

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि जैसे ही कोई भी वाहन वन अपराध में जप्त किया जाता है उसकी सूचना तत्काल फोन एवं ई–मेल के द्वारा म.प्र.शासन वन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) म.प्र.एवं इस कार्यालय को दी जावे । इसके अतिरिक्त संदर्भ क्र. 2 के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया है कि जैसे ही वाहन जप्त हो और उसमें राजसात की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की सूचना तत्काल क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) तथा इस कार्यालय को दी जावे । यह भी निर्देश है कि इन प्रकरणों में जैसे ही वाहन संबंधी प्रकरण का निराकरण हो (राजसात किया जावे , मुक्त किया जावे अथवा वाहन के बराबर मूल्य या दस हजार लेने उपरांत वाहन मुक्त किया जावे) तो उसकी भी प्रति उपरोक्त वर्णित वरिष्ठ को दी जावे ।

हाल ही में विधान सभा प्रश्न कमांक 5194 में प्राप्त उत्तर के परीक्षण पर पाया गया है कि कतिपय वनमण्डलों में बडी संख्या में वाहन अभिसंधान कर मुक्त किये गये है और उनके लिए कोई आदेश पारित नहीं किये गये है, जो वरिष्ठ के उपरोक्त वर्णित विभागीय निर्देशों के अनुकूल नहीं है ।

अतः आप अपने समस्त अधिनस्थ उपवनमण्डलाधिकारियों को निर्देशित करें कि जैसे ही वाहन जप्त हो उसकी प्रविष्टि एक रजिस्टर में करें तथा उसके निराकरण के संबंध मे जो भी निर्णय हो (चाहे वाहन राजसात किया जावे , मुक्त किया जावे अथवा अभिसंधान के जरिए वाहन मुक्त किया जावे) उसका एक विवरणात्मक आदेश (Speaking order) पारित करेंगे जिसकी सूचना

(106)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) भोपाल, आपको एवं इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से देंगें । यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रकरण बिना वनमण्डलाधिकारी के संज्ञान के अभिसंधानित न किया जावे । यह भी अपेक्षित है कि वर्ष जनवरी 2010 के बाद वाहन मुक्त करने के समस्त प्रकरणों की समीक्षा की जावे तथा निम्न प्रपत्र में विवरण देते हुए प्रतिवेदन इस कार्यालय को दिनांक 25.3.2011 तक दिया जावे ।

पृ.क्र.-	
पिछला	अगल

प्रपत्र एक

जप्त वाहन सम्बधी प्रकरणों का विवरण 2010

प्रकरण क्रमांक	जप्त वाहन का प्रकार एवं क्रमांक	प्रकरण निराकरण करने का आदेश क्र./दिनांक	वाहन मुक्त करने का कारण	वनमण्डल अधिकारी का अभिमत

मुख्य वन संरक्षक
छतरपुर वृत्त छतरपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/स्टेनो/2011/ 1097 *छतरपुर/दिनांक* 9-3-2011

प्रतिलिपि:-- समस्त उपवनमण्डलाधिकारी वन वृत्त छतरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । कृपया दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें । वाहन सम्बन्धी प्रकरण निराकरण करने के आदेश दिनांक को मासिक डायरी में विवरण देते हुए दर्ज किया जावे तथा सभी विचाराधीन प्रकरणों का गोशवारा भी अंकित किया जावे ।

मुख्य वन संरक्षक
छतरपुर वृत्त छतरपुर

08.03.2011